



2026:AHC-LKO:41360

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**  
**लखनऊ**  
**आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4256 वर्ष 2026**

जैद आलम उर्फ जायद उर्फ अरमान

.... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह

लखनऊ एवं 3 अन्य

.... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : सुधाकर प्रकाश

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या-11**

**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. श्री सुधाकर प्रकाश, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता सुश्री दिव्या गुप्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा दाखिल अनुपूरक शपथपत्र जिसमें धारा 180 और 183 बी० एन० एस०

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

एस० के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के कथनों की प्रतियां संलग्न हैं अभिलेख पर लिया गया ।

2. प्रस्तुत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 167 वर्ष 2026 धारा 137(2), 87, 65(1) बी० एन० एस० तथा धारा 5एल/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत थाना पारा, जिला लखनऊ में पंजीकृत में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

3. उपरोक्त मुकदमा 10.03.2026 को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया यह कहते हुये कि लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व आवेदक उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और आवेदक को जेल भेज दिया गया था। उसने 10.03.2026 की रात्रि में पुनः शिकायतकर्ता की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाने का प्रयास किया, हालांकि दोनों को पड़ोसी की सहायता से पकड़ लिया गया और थाने लाया गया।

4. धारा 180 बी० एन० एस० एस० के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के कथन में उसने कहा है कि वह आवेदक से प्रेम करती है। इससे पूर्व उसके परिवार के सदस्यों ने उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह पिछले कुछ दिनों से पुनः आवेदक से बात कर रही थी। आवेदक उससे मिलने आया लेकिन उसके परिवार के सदस्यों ने उन दोनों को पकड़ लिया। उसने कहा कि जब से वह कक्षा-6 में अध्ययन कर रही थी तब से उसका आवेदक के साथ प्रेम संबंध था।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. पीड़िता की चिकित्सीय-विधिक परीक्षण आख्या में चोट का कोई निशान या बल प्रयोग का कोई संकेत उल्लिखित नहीं है।

6. धारा 183 बी०एन०एस०एस० के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के कथन में उसने कहा है कि उसने स्वयं आवेदक को अपने घर बुलाया था। उसने आगे कहा कि आवेदक ने उसके विरुद्ध किसी बल का प्रयोग नहीं किया है और जो कुछ भी किया गया वह उसकी सहमति से किया गया था।

7. जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में यह कहा गया है कि आवेदक 18 वर्ष आयु का एक युवा व्यक्ति है और उसे वर्तमान मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्ट के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आरोप स्थापित किए गए हैं और 30.03.2026 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।

9. मुकदमे के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने तथा पीड़िता के लगातार दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए जिनमें उसने आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है; कि आवेदक 18 वर्ष आयु का एक युवा व्यक्ति है और वह 11.03.2026 से जेल में निरुद्ध है, विवेचना पहले ही पूर्ण हो चुकी है, मेरा मत है कि

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपरोक्त तथ्य आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने का मामला बनाए जाने के लिए पर्याप्त हैं।

10. तदनुसार, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

11. आवेदक- जैद आलम उर्फ जायद उर्फ अरमान को उपरोक्त मुकदमे में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के दो जमानतदारों और एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

17 जून 2026

आरती/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।